गोली से घायल खुद निकला आरोपी

-13 सितंबर को सीओडी पुल के पास खुद को मरवाई थी गोली
-खुद ही 112 नंबर डायल करके पहुंच गया था थाना रेलबाजार
-अपने सालों को किया था हत्या के प्रयास के मुकदमे में नामजद
-पुलिस ने मामले की जांच की तो खुलता चला गया पूरा मामला

कानपुर: सर मैनें दिसंबर माह में एक लड़की से उसके घर वालों की इच्छा के खिलाफ कोर्ट मैरिज कर ली थी, तब से उसके घरवाले मेरे दुश्मन बने हुए थे। आज उसी के चलते मेरे सालों और एक अज्ञात ने मुझे सीओडी पुल के पास गोली मार दी है। 13 सितंबर की रात को यह बात बताते हुए कमर में गोली लगने से घायल एक युवक थाना रेलबाजार में बैटरी रिक्शे से दाखिल हुआ। घटना सुनकर पुलिस हरकत में आई और कुछ ही देर में युवक द्वारा बताए गये आरोपियों को पकड़ लिया। जब पूछताछ और अन्य वैज्ञानिक जांचे हुईं तो पूरी घटना परत दर परत खुलती चली गई।

13.09.22 को थाना रेल बाजार पर समय 22.00 बजे के करीब एक व्यक्ति कुक्कू अहेरवार पुत्र छुन्नू अहेरवार निवासी 78/262 फूलवाली गली अनवरगंज थाना अनवरगंज को राहगीरों द्वारा घायल अवस्था में थाने पर लाया गया था। जिसे इलाज के लिये केपीएम अस्पताल भेजा गया। जहाँ पर मेडिकल परीक्षण में कुक्कू अहेरवार को गोली लगने की पुष्टि हुयी। जिसके सम्बन्ध में मजरूब के पिता छुन्नू अहेरवार पुत्र स्व0 हिमांचल प्रसाद निवासी 78/262 फूलवाली गली अनवरगंज थाना अनवरगंज की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 179/22 धारा 307 भादवि0 नामजद अभियुक्तगण 1.शुभम 2. सचिन उर्फ मलिक पुत्र गण स्व0 राजकिशोर निवासी फूलवाली गली अम्बेडकर के अन्दर थाना अनवरगंज कानपुर नगर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गहनता से साक्ष्य संकलन कर फोरेन्सिक रिपोर्ट, सर्विलान्स रिपोर्ट व अन्य उपलब्ध साक्ष्यों से अभियोग 179/22 में नामजद अभियुक्तगण शुभम व सचिन की संलिप्तता नहीं पायी गयी। साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट 45/22 दिनांक 16.09.22 को विवेचक द्वारा समाप्त कर धारा 182 भादवि0 की रिपोर्ट वादी मुकदमा के विरूद्ध प्रेषित की गयी है।

घटना को खुद कुक्कू अहेरवार व उसके साथियों सूरज कुमार पुत्र स्व0 रामकुमार निवासी 9/50 नयापुरवा श्रम सूचना केन्द्र थाना कर्नलगंज कानपुर नगर उम्र करीब 42 वर्ष व शुभम कश्यप पुत्र रामभरोसे कश्यप निवासी राजापुरवा जेके मन्दिर हंसनगर थाना काकादेव द्वारा कुक्कू अहेरवार के साले सचिन, शुभम व परिवारीजन को षड़यंत्र रचकर फंसाने के लिये साजिश के तहत दर्ज कराया गया था।

इस सम्बन्ध में शुभम पुत्र स्व0 राजकिशोर निवासी म0नं0 78/105 फूलवाली गली अनवरगंज थाना अनवरगंज कानपुर नगर द्वारा दिनांक 16.09.22 को लिखित तहरीर देकर मु0अ0सं0 183/22 धारा 120बी/195/211 भादवि0 बनाम 1. कुक्कू अहेरवार पुत्र छुन्नू अहेरवार निवासी 78/262 फूलवाली गली अनवरगंज थाना अनवरगंज कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष 2. सूरज कुमार पुत्र स्व0 रामकुमार निवासी 9/50 नयापुरवा श्रम सूचना केन्द्र थाना कर्नलगंज कानपुर नगर उम्र करीब 42 वर्ष 3. शुभम कश्यप पुत्र रामभरोसे कश्यप निवासी राजापुरवा जेके मन्दिर हंसनगर थाना काकादेव कानपुर नगर के विरूद्ध थाना स्थानीय पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें विवेचनात्मक कार्यवाही से प्राप्त पर्याप्त साक्ष्यों, फोरेन्सिक रिपोर्ट, सर्विलान्स रिपोर्ट, मेडिकोलीगल रिपोर्ट, बयान गवाह व निरीक्षण घटनास्थल के आधार पर अभियुक्तगण 1. कुक्कू अहेरवार पुत्र छुन्नू अहेरवार निवासी 78/262 फूलवाली गली अनवरगंज थाना अनवरगंज कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष 2. सूरज कुमार पुत्र स्व0 रामकुमार निवासी 9/50 नयापुरवा श्रम सूचना केन्द्र थाना कर्नलगंज कानपुर नगर उम्र करीब 42 वर्ष को आज दिनांक 17.09.2022 को झकरकट्टी बस स्टाप के पुल के थोड़ा पहले पुल के नीचे समय करीब 12.52 बजे घटना में प्रयुक्त वाहन TUV 300 महिन्द्रा रंग सिल्वर नं0 UP 78 FN 9259 के साथ गिरफ्तार किया गया। फरार अभियुक्त शुभम कश्यप पुत्र रामभरोसे कश्यप निवासी राजापुरवा जेके मन्दिर हंसनगर थाना काकादेव कानपुर नगर की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

पूछताछ में पता चला कि कुक्कू ने शुभम को आठ हजार रुपये दिये थे खुद पर गोली चलाने के लिये और कट्टे की व्यवस्था करने को। घटना वाले दिन सूरज ने कुक्कू की कमर पकड़ी और शुभम ने गोली चलाई और वहां से कुक्कू को मौके पर छोड़कर चले गये और इसके बाद कुक्कू ने साजिश के तहत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम:-</u>

1.कुक्कू अहेरवार पुत्र छुन्नू अहेरवार निवासी 78/262 फूलवाली गली अनवरगंज थाना अनवरगंज कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष

2.सूरज कुमार पुत्र स्व0 रामकुमार निवासी 9/50 नयापुरवा श्रम सूचना केन्द्र थाना कर्नलगंज कानपुर नगर उम्र करीब 42 वर्ष

<u>वांछित अभियुक्त का नाम:-</u>

1.शुभम कश्यप पुत्र रामभरोसे कश्यप निवासी राजापुरवा जेके मन्दिर हंसनगर थाना काकादेव कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह थाना रेलबजार, उ0नि0 राजकुमार रावत, उ0नि0 जितेन्द्र जायसवाल, उ0नि0 विकास कुमार त्यागी, उ0नि0 राकेश कुमार ,का0 अमित कुमार, का0 दीपक, का0 अंकित कुमार शामिल रहे।